**कार्यालय जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, बहराइच।**

पत्रांकः एम0डी0एम0/ 468-72 /2024–25 दिनांक 07/08/2024

समस्त खण्ड शिक्षा अधिकारी,
जनपद–बहराइच।

---

विषय : वित्तीय वर्ष 2024–25 में पी0एम0पोषण (मध्यान्ह भोजन) योजनान्तर्गत परिषदीय व राजकीय विद्यालयों मे किचेन उपकरण हेतु प्रेषित धनराशि से किचेन उपकरण क्रय कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र उपलब्ध कराये जाने के सम्बन्ध मे।

उपर्युक्त विषयक निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण उ0प्र0, लखनऊ के पत्र सं0: म0भो0प्रा0/सी–448/2024–25 दिनांक 31.05.2024 का संदर्भ ग्रहण करें, जिसके द्वारा परिषदीय व राजकीय विद्यालयों में किचेन उपकरण हेतु धनराशि प्राप्त हुयी थी। प्राप्त धनराशि संलग्न सूची के अनुसार विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन निधि खातो में प्रेषित की गयी है।

शासनादेश सं0: 1445/अड़सठ–3–2019 दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा आदर्श किचेन व्यवस्थित करने तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांकः म0भो0प्रा0/सी–3326/2023–24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा बर्तनों के क्रय हेतु दिशा–निर्देश पूर्व से ही निर्गत हैं, जिसके आधार पर आदर्श किचेन की व्यवस्था की जायेगी। विद्यालय की आवश्यकतानुसार गैस सिलेण्डर का क्रय भी किया जा सकता है। ***जिलाधिकारी महोदय, बहराइच द्वारा धनराशि प्रेषण की पत्रावली पर निर्देश दिया गया है कि धनराशि पहुँचने के एक सप्ताह में विद्यालयों द्वारा बर्तन क्रय कर लिया जाये 15 दिन के उपरान्त मुख्य विकास अधिकारी के माध्यम से नोडल से सत्यापन करा लिया जाये तथा आगामी मासिक बैठक में सत्यापन प्रस्तुत किया जाये।***

अतः उपर्युक्त के क्रम में आपको निर्देशित किया जाता है कि संलग्न सूची के विद्यालयों को अवगत कराते हुए शासनादेश सं0: 1445/अड़सठ–3–2019 दिनांक 10 अक्टूबर 2019 द्वारा आदर्श किचेन व्यवस्थित करने तथा मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण के पत्रांकः म0भो0प्रा0/सी–3326/2023–24 दिनांक 26.02.2024 द्वारा प्रदत्त निर्देशों के क्रम में विद्यालयों में बर्तन उपकरण क्रय जिलाधिकारी महोदय, बहराइच के निर्देशानुसार एक सप्ताह में कराते हुए उपभोग प्रमाण पत्र निर्धारित प्रारूप पर 15 दिवस में उपलब्ध कराना सुनिश्चित करें। यह भी अवगत कराया जाता है कि क्रय सामग्रियों की विद्यालय में स्पष्ट जियोटैग फोटो सुरक्षित रखी जायेगी, सामग्रियों की स्टाक पंजिका में इन्ट्री की जायेगी तथा उक्त स्टाक पंजिका को खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा प्रतिहस्ताक्षरित किया जायेगा एवं **स्टाक पंजिका तथा जियोटैग फोटो की एक प्रति खण्ड शिक्षा अधिकारी कार्यालय पर सुरक्षित रखी जायेगी।** क्रय की गयी सामग्रियों एवं स्टाक पंजिका का सत्यापन मुख्य विकास अधिकारी महोदय द्वारा नामित नोडल के द्वारा किया जायेगा, किसी भी वित्तीय अनियमितता के लिए सम्बन्धित विद्यालय के प्रधानाध्यापक/प्र0 प्रधानाध्यापक उत्तरदायी होंगे।

**संलग्नक : उक्तवत्।**

07/08/2024

(आशीष कुमार सिंह)
जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बहराइच।

पृ0सं0: उपरोक्तानुसार
प्रतिलिपिः– निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषितः–

1 जिलाधिकारी महोदय, बहराइच।
2. मुख्य विकास अधिकारी महोदय, बहराइच।
3. सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), देवीपाटन मण्डल, गोण्डा।
4. समस्त सम्बन्धित विद्यालयों के प्रधानाध्यापक/ईचार्ज प्र0अ0 को अनुपालनार्थ।

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी
बहराइच।

Scanned with OKEN Scanner

TO BE PAID THROUGH SYSTEM ONLY

## वित्तीय वर्ष 2024–25 में बर्तन उपकरण मद में प्राप्त धनराशि का उपभोग प्रमाण पत्र

मैं........................................ प्र0अ0 / प्र0प्र0अ0, प्राथमिक / उच्च प्राथमिक / कम्पोजिट विद्यालय ........................................विकास खण्ड........................................बहराइच प्रमाणित करता हूँ कि वित्तीय वर्ष 2024–25 में बर्तन उपकरण मद में रु0........................................ मध्यान्ह भोजन निधि खाते में प्राप्त हुआ था, जिसका निम्न विवरणानुसार व्यय / उपभोग किया गया है:–

| प्राप्त धनराशि | क्रय सामग्री का विवरण | व्यय धनराशि | अवशेष धनराशि | अभ्युक्ति |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |
| | | | | |

1. उपरोक्तानुसार प्राप्त धनराशि से विद्यालय में बर्तन उपकरण क्रय किया गया है। क्रय किये गये बर्तन उपकरण / सामग्री आदि से सम्बन्धित बिल बाउचर विद्यालय स्तर पर सुरक्षित है, जिसका सत्यापन कभी भी किया जा सकता है।
2. धनराशि से क्रय किये गये बर्तन उपकरण का पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर स्टाक पंजिका के पेज संख्या........................ पर अंकित किया गया है।

हस्ताक्षर एवं मुहर
प्रधानाध्यापक

प्रतिहस्ताक्षरित

खण्ड शिक्षा अधिकारी
विकास खण्ड..........................बहराइच।

Scanned with OKEN Scanner

संख्या 1445/अड़सठ-3-2019

प्रेषक,

अपर मुख्य सचिव,
बेसिक शिक्षा,
उ०प्र० शासन।

सेवा में,

१. समस्त जिलाधिकारी, उ०प्र०।
२. समस्त जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी, उ०प्र०।

बेसिक शिक्षा विभाग

लखनऊ दिनांकः 10 अक्टूबर, 2019

विषयः **मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत किचेन उपकरण/रिप्लेसमेन्ट मद के अन्तर्गत 'आदर्श किचेन' व्यवस्थित करने हेतु दिशा-निर्देश।**

महोदय,

अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत भारत सरकार द्वारा वित्तीय वर्ष 2006-07 से रू0 5000/- प्रति विद्यालय की दर से बर्तन उपकरण क्रय किये जाने हेतु धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान किया गया है तथा वित्तीय वर्ष 2012-13 से 05 वर्ष के पश्चात पुनः बर्तन रिप्लेसमेन्ट मद में रू0 5000/- प्रति विद्यालय की दर से धनराशि उपलब्ध कराये जाने का प्रावधान भी किया गया है।

बर्तन मद में अद्यतन रू0 5000/- प्रति विद्यालय की दर से उपलब्ध करायी जा रही धनराशि से भारत सरकार के निर्देशानुसार १. कुकिंग डिवाइस (स्टोव, भट्टी, चूल्हा व गैस कनेक्शन), २. खाद्य सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव हेतु बर्तन, ३. भोजन पकाने एवं परोसने हेतु बर्तन जैसे भगौना, कढ़ाई, परात, चिमटा, चकला, बेलन, करछुल, चम्चे आदि विद्यालयों में क्रय किये जाते रहे हैं।

योजनान्तर्गत एक आदर्श किचेन की परिकल्पना/स्थापना के अन्तर्गत भोजन पकाने, परोसने एवं खाद्य सामग्री के सुरक्षित रख-रखाव हेतु समस्त विद्यालयों में उपकरणों की समानता के दृष्टिगत निम्नलिखित उपकरणों की सूची तैयार की गयी हैः-

| क्रम सं0 | उपकरण |
|---|---|
| १ | डबल बर्नर भट्टी |
| २ | आई0एस0आई0 मार्कड गैस पाइप (जो हर साल बदली जानी चाहिए) |
| ३ | एल्यूमिनियम/स्टील के भगौने ढक्कन सहित |
| ४ | बड़ी परात |
| ५ | प्रेशर-कुकर |
| ६ | स्टील बाल्टी परोसने हेतु |
| ७ | लोहे की बड़ी कढ़ाही |
| ८ | चिमटे |
| ९ | चकला बेलन |
| १० | बड़े तवे |

Scanned with OKEN Scanner

| | |
|---|---|
| ११ | बड़े करछुल |
| १२ | बड़े चमचे |
| १३ | हैण्डल वाला लोटा |
| १४ | खल |
| १५ | सिलबट्टा |
| १६ | चाकू |
| १७ | छिलनी |
| १८ | आटा चलनी |
| १९ | सूपा |
| २० | बड़े कैसेरोल |
| २१ | छात्र संख्या के अनुसार थाली, गिलास एवं चम्मच |
| २२ | गेंहू/आटा/चावल हेतु एयरटाइट कन्टेनर |
| २३ | दाल/चीनी/सोयाबीन बड़ी हेतु एयरटाइट कन्टेनर |
| २४ | नमक/मसाले आदि हेतु एयरटाइट कन्टेनर |
| २५ | लाइटर |
| २६ | साफ सफाई हेतु डस्टर/मारकीन का कपड़ा |
| २७ | बर्तन/कपड़ा धोने का साबुन/वाशिंग पाउडर |
| २८ | झाड़ू, वाइपर |
| २९ | आवश्यकतानुसार बर्तन रखने की टोकरी/रैक |
| ३० | अग्निशमन सुरक्षा यंत्र |

अवगत कराना है कि मध्यान्ह भोजन योजनान्तर्गत आदर्श किचेन के अन्तर्गत उक्त उपकरणों की आवश्यकता होती है। चूंकि विद्यालयों में पूर्व से ही योजना के संचालन हेतु उपकरण उपलब्ध हैं, अतः भविष्य में आवंटित धनराशि से विद्यालय में छात्र संख्या एवं वास्तविक आवश्यकता के अनुसार उक्त उपकरण क्रय किये जा सकते हैं। साथ ही एक आदर्श किचेन हवादार एवं प्रकाशयुक्त होनी चाहिए। यदि सम्भव हो तो, फर्श एवं स्लैब पर टाइल्स लगे होने चाहिए। किचेन में रखी जाने वाली सामग्री सदैव एयरटाइट कन्टेनर में ही सुरक्षित रखी जाये, किसी भी दशा में कागज, बोरी, पोलीथीन, अखबार आदि में नहीं रखी जाये।

उपरोक्त के दृष्टिगत अपेक्षित है कि भविष्य में भारत सरकार से किचेन उपकरण/बर्तन मद में प्राप्त धनराशि से विद्यालय स्तर पर आदर्श किचेन की संकल्पना की पूर्ति हेतु स्थानीय स्तर पर किचेन उपकरण/बर्तन निम्न निर्देशानुसार क्रय/व्यवस्थित किये जायेंगे:-

१. स्वीकृत धनराशि को जिलाधिकारियों द्वारा आहरित कर निर्धारित मद में व्यय किया जायेगा। धनराशि कालातीत हो जाने के लिए संबंधित अधिकारी/कर्मचारी का उत्तरदायित्व निर्धारित कर आवश्यक कार्यवाही की जायेगी।
२. धनराशि के लेखों के रख-रखाव की समस्त कार्यवाही जिलाधिकारी द्वारा सुनिश्चित करायी जायेगी तथा विवरण/उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण को उपलब्ध कराए जायेंगे।

Scanned with OKEN Scanner

३. धनराशि आवंटन से एक माह की अवधि में विद्यालयों के मध्यान्ह भोजन निधि खाते में धनराशि का प्रेषण तथा आगामी एक माह की अवधि में समस्त बर्तन/उपकरण का क्रय किया जाना सुनिश्चित किया जायेगा।

४. धनराशि का अलग से लेखा खाता रखा जाएगा और इस धनराशि को जिस कार्य के लिए स्वीकृत किया गया है इसके अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य के लिए प्रयोग में नहीं लिया जाएगा।

५. धनराशि से क्रय की गयी वस्तुओं का पूर्ण विवरण विद्यालय स्तर पर स्टॉक रजिस्टर में नियमानुसार अंकित किया जाएगा तथा क्रय किये गये उपकरणों का भौतिक सत्यापन संबंधित खण्ड शिक्षा अधिकारी द्वारा किया जाएगा एवं इसका अंकन स्टॉक रजिस्टर में अनिवार्य रूप से किया जाएगा।

६. जिलाधिकारी द्वारा विद्यालयों में क्रय की गयी वस्तुओं का रैण्डम आधार पर सत्यापन एवं आवश्यकतानुसार गुणवत्ता जांच कराया जायेगा।

७. क्रय किये जाने वाले उपकरणों पर, यथासम्भव विद्यालय का नाम व क्रय की तिथि अंकित की जायेगी।

८. क्रय किये जाने के उपरान्त समस्त बर्तन/उपकरण को एक साथ रसोई में व्यवस्थित कर फोटोग्राफ ली जायेंगी। संबंधित समस्त फोटोग्राफ को विद्यालय व जनपद स्तर पर सुरक्षित रखा जायेगा।

९. क्रय किये गये उपकरणों की फोटोग्राफ एवं स्टॉक रजिस्टर में अंकन संबंधी पृष्ठ की फोटो प्रेरणा प्रणाली के एम0डी0एम0 माडयूल के अन्तर्गत उपलब्ध लिंक पर अपलोड की जायेगी।

कृपया उक्त निर्देशों का शतप्रतिशत अनुपालन कराना सुनिश्चित करें।

भवदीय

10/10/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

**पृष्ठांकन व दिनांकः उक्तवत्।**

**प्रतिलिपिः** निम्नलिखित अधिकारियों को सूचनार्थ एवं अनुपालनार्थ प्रेषित।

१. निदेशक, मध्यान्ह भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0, लखनऊ।
२. निदेशक, बेसिक शिक्षा/माध्यमिक शिक्षा, उ0प्र0, लखनऊ।
३. सचिव, बेसिक शिक्षा परिषद, उ0प्र0, इलाहाबाद।
४. समस्त मुख्य विकास अधिकारी, उ0प्र0।
५. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक (बेसिक), उ0प्र0।
६. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उ0प्र0।
७. समस्त वित्त एवं लेखाधिकारी, बेसिक शिक्षा विभाग, उ0प्र0।

10/10/19

(रेणुका कुमार)
अपर मुख्य सचिव

Scanned with OKEN Scanner

# मध्याह्न भोजन प्राधिकरण, उ0प्र0

203/9, नबीउल्लाह रोड, लखनऊ

फोन नं0–0522–2614721 ई मेल–lkomdm@gmail.com Website: www.upmdm.org


पत्रांक : म0भो0प्रा0/C-3326 /2023–24 दिनांकः 26 फरवरी, 2024

सेवा में,

जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी,
समस्त जनपद।

विषयः पी0एम0 पोषण योजनान्तर्गत भोजन पकाए जाने में प्रयोग किये जाने वाले बर्तनों के सम्बन्ध में।

महोदय/महोदया,

उपर्युक्त विषयक अनु सचिव, भारत सरकार, शिक्षा मंत्रालय, स्कूल शिक्षा एवं साक्षरता विभाग डेस्क (PMP) सेक्शन नई दिल्ली के पत्रांकः F.No. 1-3/2023-Desk(PMP) दिनांक 03 जुलाई, 2023 (छायाप्रति संलग्न) का संदर्भ ग्रहण करें।

उक्त पत्र के माध्यम से अवगत कराया गया है कि भोजन पकाने में कोटिंग रहित एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग किये जाने में भोजन में एल्यूमिनियम की लीचिंग का खतरा रहता है, जिससे स्वास्थ्य संबंधी हानिकारक प्रभाव हो सकते हैं। एल्यूमिनियम की लीचिंग भोजन पकाने के तापमान, भोजन पकाने के माध्यम, पकायी जा रही खाद्य सामग्री यथा–टमाटर, इमली, सिरका इत्यादि तथा भोजन पकाने की अवधि पर निर्भर करती है। अतः योजनान्तर्गत भोजन पकाने में एल्यूमिनियम के बर्तनों का प्रयोग कम से कम उपयोग किये जाने का सुझाव दिया गया है।

अतः अपेक्षित है कि योजनान्तर्गत भोजन पकाने में एल्यूमिनियम के बर्तनों का कम से कम उपयोग किये जाने हेतु जागरूक किया जाय तथा भविष्य में योजना हेतु बर्तनों के क्रय में यथासम्भव एल्यूमिनियम के स्थान पर स्टेनलेस स्टील के बर्तनों को वरीयता प्रदान की जाय।

संलग्नक–यथोक्त्

भवदीया,

( कंचन वर्मा )
निदेशक

पृष्ठांकन एवं दिनांक तदैव

प्रतिलिपि– निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित–

1. समस्त जिलाधिकारी, उत्तर प्रदेश
2. समस्त मण्डलीय सहायक शिक्षा निदेशक(बेसिक), उत्तर प्रदेश।
3. समस्त जिला विद्यालय निरीक्षक, उत्तर प्रदेश।

( कंचन वर्मा )
निदेशक

Scanned with OKEN Scanner